

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2020/00088

मुकदमा नम्बर 40/2020

दायर दिनांक-02.03.2020

1. विनोद कुमार पुत्र मालीराम
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मालीराम
3. रूडकी देवी पत्नी मालीराम समस्त जाति माली निवासीगण घरवाली कोठी तन बिरोल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू


..... वादी

बनाम

1. रामनिवास पुत्र महावीर
2. विनोद पुत्र महावीर
3. ओमप्रकाश पुत्र महावीर
4. गायत्री पत्नी शिवकुमार
5. तानीया पुत्री शिवकुमार नाबालिग जरिये कुदरती माता गायत्री पत्नी शिवकुमार
6. दिया पुत्री शिवकुमार नाबालिग जरिये कुदरती माता गायत्री पत्नी शिवकुमार
7. अल्का पुत्री शिवकुमार नाबालिग जरिये कुदरती माता गायत्री पत्नी शिवकुमार
8. सुरेश कुमार पुत्र नरसाराम
9. संतोष पुत्री नरसाराम
10. सुशीला पुत्री नरसाराम
11. सावित्री पुत्री नरसाराम
12. शिवपाल पुत्र पदमा
13. राधेश्याम पुत्र पदमा
14. रमेश कुमार पुत्र पदमा
15. सरस्वती देवी पत्नी पदमा
16. पतासी देवी पत्नी पदमा
17. मुकेश पुत्र बद्रीप्रसाद
18. दिनेश पुत्र बद्रीप्रसाद
19. नेमीचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद
20. मुन्नी देवी पत्नी बद्रीप्रसाद
21. सुमेर पुत्र जगदीश प्रसाद
4. गीता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद समस्त जाति माली निवासीगण घरवाली कोठी तन बिरोल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
22. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी

दावा – घोषणार्थ, दुरुस्ती व विभाजन

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़ (झुझुनू)

**प्रतिनिधित्व:-**

वकील वादी- श्री अशोक जांगिड

प्रतिवादीगण - एक पक्षीय

**-:निर्णय:-**

निर्णय दिनांक 09-01-2025

वाद वादी दिनांक 30/09/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2024/5718 दिनांक 12/12/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 09-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

जिला- झुझुनू

नवलगढ़ (झुझुनू)

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2020/00088

मुकदमा नम्बर 40/2020

दायर दिनांक-02.03.2020

(विनोद कुमार बनाम रामनिवास वगै0)

दावा - घोषणार्थ, दुरुस्ती व विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 30/09/2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत् आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2024/5718 दिनांक 12/12/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....  
-.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 09 माह 01 सन् 2024 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-